उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-9/316/एक-1-2017-5(109)/2014

लखनऊ: दिनॉक: 19 अप्रैल, 2017

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र संख्या-744/सात-भूलेख, दिनॉक 18.10.2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्व ग्राम रण्डौली का नाम ऐतिहासिक नहीं है और उच्चारण में सुखद भी नहीं है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उक्त राजस्व ग्राम का नाम परिवर्तन कर अन्नपूर्णा नगर किये जाने का प्रस्ताव भी किया है।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या-11/9/2016-एम. एण्ड जी., दिनॉक 07.11.2016 द्वारा जनपद सुल्तानपुर तहसील जयसिंहपुर परगना बरौसा के राजस्व ग्राम "रण्डौली" का नाम परिवर्तित कर "अन्नपूर्णा नगर" किये जाने पर अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है।

3. अतएव गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-130/53-पब्लिक दिनॉक 11.09.1953 एवं पत्र संख्या-11/9/2016-एम. एण्ड जी., दिनॉक 07.11.2016 के क्रम में, श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट मे प्रकाशित होने के दिनांक से उक्त राजस्व ग्राम रण्डौली का नाम नीचे वर्णित अनुसूची के अनुसार परिवर्तित किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

4. श्री राज्यपाल अग्रतर यह भी निदेश देते है कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय, जो उक्त राजस्व ग्राम के सम्बंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग करता रहा है, में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

<u>अनुसूची</u>

राजस्व ग्राम का विद्यमान नाम	राजस्व ग्राम का नया नाम
1	2
रण्डौली	**अन्नपूर्णा नगर**

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार

प्रमुख सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

shasanadesh.up.nic.in